Annexure-4

9/301

गोवा, दमण एवं दीव समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम, 1980

अनुवाद एवं पुनरीक्षण

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
पर्यावरण भवन, 8वाँ तल,
केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोदी रोड़,
नई दिल्ली - 110 003.

संशोधित टंकण :

राजभाषा विभाग,
संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
सचिवालय, दमण ।

विधि विभाग (विधिक परामर्श)

विषय : मत्स्य उद्योग - समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम

अ धि सू च ना

एल. डी. / 6 / 34

16 अक्तूबर, 1980 को गोवा, दमण और दीव की विधान सभा द्वारा पारित और 28.2.1981 को प्रशासक द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित अधिनियम को एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है ।

बी. एस. सुबन्ना, अवर सचिव

पणजी, 6 मार्च, 1981

गोवा, दमण और दीव समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम, 1980

(1981 का अधिनियम सं. 3)

गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र की तटरेखा के पास के समुद्री क्षेत्र में मत्स्य जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन करने के लिए उपबंध करना ।

एक

अधिनियम

गोवा, दमण और दीव की विधान सभा द्वारा भारतीय गणतंत्र के इकत्तीसवें वर्ष में इसे निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए :-

अध्याय - 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-

(1) इस अधिनियम का नाम गोवा, दमण और दीव समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम, 1980 है ।

(2) यह संपूर्ण गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होगा ।

(3) यह सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत की गई तारीख से लागू होगा ।

2. परिभाषाएँ :- इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए " न्यायनिर्णायक प्राधिकारी " का अर्थदंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केंद्रीय अधिनियम-2) के उपबंधों के अंतर्गत नियुक्त एक विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट है ।

(ख) " अपील बोर्ड " का अर्थ धारा-22 के अंतर्गत गठित एक अपील बोर्ड है ।

(ग) " प्राधिकृत अधिकारी " का अर्थ ऐसे अधिकारी से है जिसे सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे मामलों के संबंध में प्राधिकृत करे जिनका संदर्भ इस अधिनियम, जिसमें यह अभिव्यक्ति आती है, के उपबंधों में दिया गया हो ।

(घ) " मत्स्यन जलयान " का अर्थ ऐसा पोत या नौका है जिसका प्रयोग मछली पकड़ने के लिए किया जाता है चाहे उसमें प्रणोदन की यांत्रिक व्यवस्था हो या नहीं, और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(i) दोनाबा (कैटामारैन)

(ii) देशी नाव, और

(iii) डोंगी

(ङ) " सरकार " का अर्थ गोवा, दमण और दीव सरकार से है ।

(च) " पत्तन " का अर्थ सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राजपत्र में समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निश्चित की गई सीमाओं के भीतर स्थान से है ।

(छ) " रजिस्टर्ड मत्स्यन जलयान " का अर्थ है -

(i) सामुद्रिक केंद्रीय उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (केंद्रीय अधिनियम,1972 का 13) की धारा-11 के तहत रजिस्टर्ड मत्स्यन जलयान

(ii) धारा-12 के तहत रजिस्टर्ड मत्स्यन जलयान

(ज) " विनिर्दिष्ट क्षेत्र " का अर्थ सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट ऐसा क्षेत्र है जो संघ राज्य क्षेत्र की पूरी तटरेखा के पास का समुद्री क्षेत्र अथवा उसका हिस्सा है किंतु राज्य क्षेत्रीय सागरखंड के आगे नहीं ।

(झ) " संघ राज्य क्षेत्र " का अर्थ है गोवा, दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र ; इसमें संघ राज्य क्षेत्र की पूरी तटरेखा और राज्यक्षेत्रीय सागरखंड शामिल है ।

3. **इस अधिनियम के उपबंधों के प्रयोजन के लिए अधिकारियों को प्राधिकृत करना :**

सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित को प्राधिकृत कर सकती है :-

(क) सरकार का कोई भी अधिकारी जो कम से कम राजपत्रित अधिकारी के रैंक का हो,

अथवा

(ख) केंद्र सरकार का कोई अधिकारी जो कम से कम राजपत्रित अधिकारी अथवा संघ की सशस्त्र सेना के कमीशन प्राप्त अधिकारी के रैंक का हो ; सरकार की सहमति से इस अधिनियम के अंतर्गत पदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अधिरोपित ड्यूटियों का निर्वहन करने के लिए ।

अध्याय - II

मत्स्यन विनियम

4. विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत कुछ मामलों को विनियमित, निर्वधित या प्रतिषिद्ध करने की शक्ति -

(1) सरकार उपधारा (2) में उल्लिखित मामलों को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा निम्नलिखित को विनियमित, निर्बधित या प्रतिषिद्ध कर सकती है -

(क) किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विहित की जाने वाली श्रेणी या श्रेणियों के मत्स्यन जलयानों द्वारा मछली पकड़ना ; अथवा

(ख) किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए प्रयोग किए गए मत्स्यन जलयानों की संख्या ; अथवा

(ग) अधिसूचना में विहित अवधि में, विनिर्दिष्ट क्षेत्र में मछलियों की किसी विशेष प्रजाति को पकड़ना ।

(घ) विनिर्दिष्ट क्षेत्र में मछली पकड़ने के निर्धारित उपस्करों का प्रयोग ।

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत आदेश देते समय, सरकार निम्नलिखित मामलों का ध्यान रखेगी, नामत:-

(क) मछली पकड़ने के कार्य में लगे विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के हितों के संरक्षण की आवश्यकता विशेषकर उन व्यक्तियों के जो मछली पकड़ने के पारंपरिक तरीकों जैसे दोनाबा, देशी नाव या डोंगी का प्रयोग करते हैं ।

(ख) मछली संरक्षण की आवश्यकता और वैज्ञानिक आधार पर मत्स्यन विनियमन ;

(ग) समुद्र में कानून व व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता ;

(घ) कोई अन्य विहित मामला ।

5. **धारा-4 के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के उल्लंघन में मत्स्यन जलयानों के प्रयोग पर प्रतिषेध :-** मत्स्यन जलयान का कोई स्वामी या मास्टर ऐसे मत्स्यन जलयानों का प्रयोग न तो स्वयं करेगा न करने देने की अनुमति देगा जो किसी भी प्रकार से धारा-4 के अंतर्गत दिए गए आदेश का उल्लंघन करे :

परंतु इस आदेश की किसी बात का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि यह किसी मत्स्यन जलयान को मछली पकड़ने के प्रयोजन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र में आने, जाने या ऐसे क्षेत्र के तट से जाने या तट पर आने से रोकता है ।

परंतु यह और कि ऐसे मत्स्यन जलयान के किसी निर्दिष्ट क्षेत्र से निकलने के कारण, निर्दिष्ट जलक्षेत्र में मछली पकड़ने के पारंपरिक तरीकों जैसे दोनाबा, देशी नाव या डोंगी से मछली पकड़ने वाले किसी व्यक्ति द्वारा मछली पकड़ने के लिए बिछाए गए जाल या रस्सों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी ।

6. **मत्स्यन जलयानों को अनुज्ञप्ति देना :-**

(1) मत्स्यन जलयान का स्वामी किसी प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन कर सकता है कि उसे किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए ऐसे मत्स्यन जलयान का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति 'लाइसेंस' दी जाए ।

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रत्येक आवेदन विहित प्ररूप में, विवरण व निर्धारित शुल्क के साथ होना चाहिए ।

(3) प्राधिकृत अधिकारी उपयुक्त जाँच करके और उप-धारा (4) में उल्लिखित मामलों को ध्यान में रखते हुए मत्स्यन जलयान के स्वामी को, अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए ऐसे मत्स्यन जलयानों का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति देगा या देने से इंकार करेगा ।

(4) उप-धारा (3) के अंतर्गत ऐसी अनुज्ञप्ति देने या इसे देने से इंकार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा :-

(क) क्या मत्स्यन जलयान रजिस्टर्ड मत्स्यन जलयान है ;

(ख) मत्स्यन जलयान की स्थिति और उसमें लगे उपसाधनों और मछली पकड़ने के उपकरणों की स्थिति ;

(ग) उप-धारा-4 के अंतर्गत दिया गया कोई भी आदेश ;

(घ) कोई अन्य विहित मामला ।

(5) इस धारा के अंतर्गत दी जाने वाली अनुज्ञप्ति विहित प्रारूप में और ऐसी शर्तों के अधीन होनी चाहिए, जिसमें शुल्क के भुगतान की शर्तें और शर्तों के निष्पादन के लिए प्रतिभूति देने की शर्तें भी शामिल है ।

परंतु मत्स्यन जलयानों के विभिन्न श्रेणियों के संबंध में प्रतिभूति के रूप में अलग-अलग शुल्क व अलग-अलग राशि विहित की जाए ।

(6) इस धारा के अंतर्गत दी गई अनुज्ञप्ति उसमें निर्धारित अवधि के लिए या बढ़ाई गई उतनी अवधि के लिए वैध होगी जो प्राधिकृत अधिकारी मामले के अनुसार बढ़ाना उचित समझे ।

7. मछली पकड़ने के जाल के रंध्रों का आकार विनियमित करने की शक्ति :-

मछली पकड़ने की प्रकृति और ढंग को तथा मछली संरक्षण की आवश्यकता और वैज्ञानिक आधार पर मत्स्य को विनियमित करने की आवश्यकता को देखते हुए, सरकार राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा मछली पकड़ने के जाल के रंध्रों के आकार को विनियमित या निर्बंधित कर सकती है ।

8. मछली पकड़ने के जालों की अनुज्ञप्ति देना :-

(1) मछली पकड़ने के जाल का स्वामी, मछली पकड़ने के जाल का प्रयोग करने की अनुज्ञप्ति देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन कर सकता है ।

(2) ऐसा आवेदन विहित प्ररूप में, विहित विवरण और शुल्क के साथ होना चाहिए ।

(3) इस धारा के अंतर्गत दी गई अनुज्ञप्ति विहित प्ररूप में और शुल्क के भुगतान की शर्तों और शर्तों के उचित पालन के लिए प्रतिभूति देने की शर्तों के अधीन होगी ।

परंतु अनुज्ञप्ति के लिए मछली पकड़ने के जालों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में प्रतिभूति के रूप में अलग-अलग शुल्क और अलग-अलग राशि विहित की जाए ।

(4) इस धारा के अंतर्गत दी गई अनुज्ञप्ति उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या बढ़ाई गई उतनी अवधि के लिए वैध होगी जो प्राधिकृत अधिकारी मामले के अनुसार बढ़ाना उचित समझे ।

9. अनुज्ञप्त मत्स्यन जलयानों का प्रयाग करके मछली पकड़ने पर प्रतिषेध :-

इस अधिनियम के लागू होने के बाद से कोई भी व्यक्ति विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ऐसे मत्स्यन जलयान का प्रयोग करके मछली पकड़ने का कार्य नहीं करेगा जिसे धारा-6 के तहत अनुज्ञप्ति न मिली हो ।

परंतु इस धारा की कोई भी बात उस मत्स्य जलयान पर लागू नहीं होगी जो इस अधिनियम के लागू होने से तत्काल पहले, सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित अवधि के लिए प्रयोग किया जा रहा हो ।

10. <u>मछली पकड़ने के जालों के विनिर्माण विक्रय और प्रयोग पर नियंत्रण :-</u>

इस अधिनियम के लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति धारा-7 के तहत पारित आदेश के उल्लंघन में या धारा-8 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना मछली पकड़ने के जालों का विनिर्माण या प्रयोग नहीं करेगा ।

11. <u>अनुज्ञप्ति रद्द, निलंबित या संशोधित करना</u>

(1) यदि प्राधिकृत अधिकारी इस निमित्त उसे दिए गए संदर्भ से या अन्यथा संतुष्ट है कि-

(क) धारा-6 अथवा धारा-8 के तहत दी गई अनुज्ञपित किसी आवश्यक तथ्य के दुर्व्यपदेशन द्वारा प्राप्त की गई है ; अथवा

(ख) अनुज्ञप्ति धारक किसी युक्तियुक्त कारण के बिना उन शर्तों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है जिनके अधीन उसे अनुज्ञप्ति दी गई थी अथवा इस अधिनियम के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश या नियम का उल्लंघन करता है तो अनुज्ञप्ति धारक पर इस अधिनियम के तहत दायी किसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकृत अधिकारी लाइसेंस धारक को कारण बताने का यक्तियुक्त अवसर देकर, अनुज्ञप्ति को रद्द अथवा निलंबित कर सकता है या जिन शर्तों के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई है उनके उचित निष्पादन के लिए दी गई प्रतिभूति, यदि कोई है, का कुछ अंश या पूरी राशि जब्ज कर सकता है ।

(2) इस निमित बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, प्राधिकृत अधिकारी धारा-6 धारा-8 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति को परिवर्तित या संशोधित कर सकता है ।

12. <u>जलयानों का रजिस्ट्रीकरण :-</u> मछली पकड़ने के प्रयोजन से प्रयोग किए गए अथवा प्रयोग किए जाने के लिए अभीष्ट और संघ राज्य क्षेत्र में रखे गए प्रत्येक जलयान का स्वामी ऐसे जलयान को इस अधिनियम के तहत रजिस्टर कराएगा, इस बात पर विचार किए बिना कि उसको सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा-11 के तहत रजिस्टर किया गया है या नहीं ।

(2) ऐसे जलयान के रजिस्ट्रेशन के लिए किया गया प्रत्येक आवेदन जलयान के स्वामी द्वारा विहित प्ररूप में किया जाएगा और उसके साथ विहित शुल्क के साथ होना चाहिए और आवेदन नीचे दी गई समय-सीमा के अंतर्गत किया जाए :-

(क) उसके ऐसे जलयान का स्वामी बनने से एक माह के अंतर्गत ; अथवा

(ख) इस अधिनियम के लागू होने के तीन माह समाप्त होने से पहले ; जो भी बाद में हो ; परंतु प्राधिकृत अधिकारी लिखित में दर्ज किए जाने वाले पर्याप्त कारणों से रजिस्ट्रेशन के लिए समय-सीमा उतनी अवधि के लिए बढ़ा सकता है जितनी वह उचित समझे । किंतु ऐसी अवधि तीन माह से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(3) प्राधिकृत अधिकारी जलयान के स्वामी को उसके द्वारा रजिस्टर कराए गए जलयान के लिए विहित प्ररूम में रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र जारी करेगा और इस उद्देश्य से उसके द्वारा रखे गए रजिस्टर में विहित प्ररूप में उस प्रमाण पत्र का विवरण दर्ज करेगा ।

(4) एक बार किया गया रजिस्ट्रेशन तब तक लागू रहेगा जब तक कि प्राधिकृत अधिकारी उसे रद्द न करें ।

(5) इस धारा के तहत रजिस्टर किए गए प्रत्येक जलयान पर प्राधिकृत अधिकरी द्वारा उसके लिए दिया गया रजिस्ट्रेशन चिन्ह होगा जिसे जलयान पर निर्धारित तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा ।

(6) रजिस्टर्ड जलयान के अतिरिक्त किसी भी जलयान को धारा-6 के तहत अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी ।

13. **<u>मत्स्य जलयानों की आवाजाही के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी को सूचना देना :-</u>**

यदि कोई रजिस्टर्ड मत्स्यन जलयान एक पत्तन से दूसरे पत्तन के क्षेत्र में जाता है तो उस पत्तन का स्वामी इसकी सूचना विहित रीति से उस प्राधिकृत अधिकारी को देगा जिसने मत्स्यन जलयान को रजिस्टर किया था और उस पत्तन अधिकारी को भी देगा जिसके अधिकार क्षेत्र मत्स्य जलयान को ले जाया गया है ।

14. मत्स्यन जलयानों के स्वामियों द्वारा विवरणियाँ प्रस्तुत करना :-

(1) प्रत्येक रजिस्टर्ड मत्स्यन जलयान का स्वामी प्राधिकृत अधिकारी को विहित समय और रीति से विवरणियाँ प्रस्तुत करेगा ।

(2) प्राधिकृत अधिकारी इस धारा के अंतर्गत भरी गई विवरणियों की यथार्थता का सत्यापन करने के लिए किसी भी रजिस्टर्ड मत्स्यन जलयान का किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है ।

15. धारा-6, 11 और 12 के तहत आदेशों की अंतिमता :-

धारा-6, 11 और 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी का मत्स्यन जलयान अथवा मछली पकड़ने के जाल के लिए अनुज्ञप्ति देना मंजूर करने या मना करने अथवा ऐसी अनुज्ञप्ति को रद्द करने, निलंबित करने, परिवर्तित या संशोधित करने अथवा जलयान का रजिस्ट्रेशन करने अथवा उसे रद्द करने का प्रत्येक निर्णय अंतिम होगा किंतु इसके प्रति धारा-16 के तहत अपील की जा सकेगी ।

16. अनुज्ञप्ति देने से इंकार करने के आदेशों के प्रति अपील :-

(1) प्राधिकृत अधिकारी के मत्स्य जलयान अथवा मछली पकड़ने के जाल के लिए अनुज्ञप्ति न देने अथवा ऐसी अनुज्ञप्ति को रद्द निलंबित, परिवर्तित अथवा संशोधित किए जाने अथवा जलयान के रजिस्ट्रेशन न करने या ऐसे जलयान के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उसे आदेश संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन के अंदर विहित प्राधिकरी (इस धारा में इसके बाद इसे अपील प्राधिकारी कहा जाएगा) को अपील प्रस्तुत कर सकता है ।

परंतु यदि अपील प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारणों से समय से अपील नहीं कर सका तो वह उक्त अवधि के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है ।

(2) उप-धारा-(1), के अंतर्गत अपील की प्राप्त पर अपील प्राधिकारी, अपीलकर्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर उस पर जितना शीघ्र संभव हो, उचित आदेश देगा ।

(3) इस धारा के तहत अपील प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश अंतिम होगा

17. <u>विनिर्दिष्ट क्षेत्रों का सीमांकन :-</u>

सरकार विहित शर्तों के अनुसार, विनिर्दिष्ट क्षेत्रों का सीमांकन करेगी ।

<u>अध्याय - III</u>

<u>शास्तियाँ</u>

18. <u>मत्स्यन जलयानों पर जाने और उनकी तलाशी लेने की शक्तियाँ :-</u>

यदि किन्हीं कारणों से प्राधिकृत अधिकारी को लगता है कि मत्स्यन जलयान का प्रयोग इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों अथवा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों या अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन में हो रहा है तो वह ऐसे जलयानों के अंदर जाकर उनकी तलाशी ले सकता है और उसे परिबद्ध कर सकता है और उस पर पाई जाने वाली मछलियों का अधिग्रहण कर सकता है ।

19. <u>अभिगृहीत मछलियों आदि का निपटान :-</u>

(1) प्राधिकृत अधिकारी धारा-18 के तहत परिबद्ध किए गए मत्स्यन जलयानों को विहित स्थान में और विहित रीति से रखेगा ।

(2) अभिगृहीत मछलियों के भंडारण के लिए उचित सुविधा न होने पर यदि प्राधिकृत अधिकारी को लगता है कि ऐसी मछलियों का निपटान आवश्यक है तो वह मछली का निपटान करके उससे प्राप्त आय को विहित रीति से न्यायनिर्णायक अधिकारी के कार्यालय मे जमा कराएगा ।

20. <u>न्यायनिर्णयनः-</u> (1) यदि धारा-18 मे उल्लिखित प्राधिकृत अधिकारी को किन्हीं कारणों से ऐसा लगता है कि मत्स्यन जलयान का प्रयोग इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अंतर्गत बनाए नियमों अथवा अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन में किया जा रहा है तो वह उसकी रिपोर्ट न्यायनिर्णायक अधिकारी को करेगा ।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी सभी पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देकर, रिपोर्ट में उल्लिखित मामलों की विहित रीति से जाँच करेगा ।

21. **शास्ति :-** (1) धारा-20 के तहत जाँच करने के बाद यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी यह निर्णय करता है कि किसी व्यक्ति ने मत्स्य जलयानों का प्रयोग इस अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अंतर्गत बनाए नियमों अथवा अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन में किया है या करवाया है या प्रयोग करने की अनुमति दी है और ऐसे व्यक्ति को न्यायनिर्णायक अधिकारी दोषी पाता है तो उस पर अधिकतम ऐसी शास्ति लगाई जा सकती है :-

(क) पाँच हजार रूपए, यदि संबन्धित मछली का मूल्य एक हजार रूपए या उससे कम है ; अथवा

(ख) मछली के मूल्य का पाँच गुना यदि संबन्धित मछली का मूल्य एक हजार रूपए है ; अथवा

(ग) पाँच हजार रूपए, किसी अन्य मामले में, जिसमें मछली शामिल न हो और जिसका न्यायनिर्णय अधिकारी द्वारा किया गया हो ।

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत लगाई गई किसी भी शास्ति के अतिरिक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी निदेश दे सकता है कि-

(क) जिन मत्स्यन जलयानों का प्रयोग उप-धारा-1 अथवा अनुज्ञप्ति में उल्लिखित रीति से किसी शर्त के उल्लंघन में किया या करवाया जाता है या करने की अनुमति दी जाती है उनके रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र को-

(i) यथास्थिति रद्द या प्रतिसंहत कर दिया जाएगा, अथवा

(ii) न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा उचित समझी जाने वाली अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा ।

(ख) धारा-18 अथवा 19 के अंतर्गत परिबद्ध अथवा अभिगृहीत की गई मछली या उसे बेचने से हुई आय को सरकार समपहृत कर लेगी ।

22. अपील बोर्ड का गठन अथवा अपील बोर्ड को अपील प्रस्तुत करना :-

(1) सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या एक से अधिक अपील बोर्ड अथवा बोर्डों का गठन कर सकती है ।

(2) अपील बोर्ड में तीन सदस्य होंगे उनमें से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो जिला न्यायाधीश है या रहा हो, उसे अपील बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा ।

(3) यदि एक अपील बोर्ड की नियुक्ति की जाती है तो संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र उस अपील बोर्ड की अधिकारिता में होगा । यदि सरकार एक से अधिक अपील बोर्डों को नियुक्त करती है तो सरकार राजपत्र में प्रत्येक अपील बोर्ड की अधिकारिता को परिनिश्चित करेगी ।

(4) न्यायनिर्णायक अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश की तारीख से 30 दिन के अंदर ऐसी अपील की सुनवाई करने की अधिकारिता वाले अपील बोर्ड को अपील करेगा-

परंतु यदि अपील बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारणों से समय से अपील नहीं कर सका तो वह 30 दिन की उक्त अवधि के बाद भी, किंतु उक्त तारीख से 60 दिन के भीतर अपील पर विचार कर सकता है ।

(5) उप-धारा-(4) के तहत अपील प्राप्त करने के बाद अपील बोर्ड उचित समझी जाने वाली जाँच करके और संबन्धित पार्टियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गई है को पुष्ट, आशोधित अथवा अपास्त कर सकता है तथा अपील बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा ।

23. अपील बोर्ड द्वारा पुनरीक्षण :-

अपील बोर्ड धारा-21 के तहत न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश, जिसके विरूद्ध धारा-22 के तहत कोई अपील नहीं की गई है, के रिकार्ड मंगवाकर उनकी जाँच करके ऐसे आदेश की वैधता अथवा औचित्य या प्रक्रिया की नियमितता के संबन्ध में स्वयं को संतुष्ट कर सकता है और उसके संबंध में ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे-

परंतु ऐसा कोई भी आदेश प्रभावित होने वाले व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना नहीं दिया जाएगा ।

24. **इस अधिनियम के तहत जाँच कराने के संबंध में न्यायनिर्णायक अधिकारी और अपील बोर्ड की शक्तियाँ :-**

निम्नलिखित मामलों के संबंध में, जाँच करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारी और अपील बोर्ड के पास दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (केंद्र अधिनियम, 1974 का 2) के तहत न्यायालय को दी गई सभी शक्तियाँ होंगी, अर्थात्

(क) साक्षियों को समन जारी करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना ;

(ख) दस्तावेजों का पता चलाना और प्रस्तुत करने की आवश्यकता ;

(ग) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकार्ड अथवा उसकी कॉपी मांगना ;

(घ) साक्ष्य अथवा शपथ-पत्र (एफिडेविट) प्राप्त करना ; और

(ङ) साक्ष्यों अथवा दस्तावेजों की जाँच का अधिकार देना ।

25. **कंपनियों द्वारा किए गए अपराध :-**

इस अधिनियम के तहत यदि किसी कंपनी ने कोई अपराध किया है तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो अपराध के समय वहाँ उपस्थित था और कंपनी के प्रति उत्तरदायी है ; अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह उसके विरूद्ध कार्रवाई किए जाने व तद्नुसार दंढ दिए जाने के लिए दायी होगा ।

परंतु यदि वह व्यक्ति यह प्रमाणित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए हर संभव तत्परता दिखाई थी तो इस उप-धारा की कोई भी बात ऐसे व्यक्ति को किसी भी दंड के लिए दायी नहीं बनाएगी ।

(2) उप-धारा-(1) में किसी बात के होते हुए भी यदि इस अधिनियम के तहत कोई अपराध किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया जाता है अथवा उसकी ओर से हुई किसी अपेक्षा के कारण हुआ है तो ऐसे निदेशक, प्रबधक सचिव या अन्य अधिकारी को उस अपराध का दोषी माना जाएगा और वे उसके विरूद्ध कार्रवाई किए जाने व तद्नुसार दंड दिए जाने के लिए दायी होंगे ।

स्पटीकरण :- इस धारा के उद्देश्य से-

(क) " कंपनी " का अर्थ कोई निगमित निकाय है और इसमें व्यक्तियों की फर्म अथवा संघ शामिल है ।

(ख) फर्म के संबन्ध में " निदेशक " का अर्थ फर्म के भागीदार से है ।

अध्याय - IV

विविध

26. छूट :-

(1) इस अधिनियम की कोई भी बात केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक उपक्रम के सर्वेक्षण जलयान पर लागू नहीं होगी ।

(2) यदि सरकार की राय यह है कि इस अधिनियम के प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों या किसी उपबंध को निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले मत्स्यन जलयान की किसी श्रेणी या श्रेणियों पर लागू करना लोकहित में नहीं होगा तो वह राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले मत्स्यन जलयान की श्रेणी या श्रेणियों पर इस अधिनियम के सभी उपबंधों या किसी उपबंध को

लागू करने से छूट प्रदान कर सकती है किंतु यह छूट उन शर्तों के अधीन होगी जो सरकार उचित समझे ।

27. **सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परित्राण :-**

(1) इस अधिनियम अथवा इसके अधीन किसी आदेश या नियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई अथवा आशयित कार्यवाही के लिए सरकार अथवा किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं की जाएंगी ।

(2) इस अधिनियम अथवा उसके अधीन किसी आदेश या नियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई अथवा आशयित कार्यवाही के कारण हुई अथवा होने वाली किसी क्षति के लिए सरकार अथवा किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विरूद्ध कोई वाद या विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

28. **नियम बनाने की शक्ति :-**

(1) सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों का पालन करने के लिए नियम बनाएगी ।

विशिष्टता : और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित या निम्नलिखित में से किसी मामले के लिए नियम बनाए जा सकते हैं नामत :-

(क) धारा-4 की उप-धारा (1) के तहत आदेश बनाने में जिन मामलों का ध्यान रखा जाएगा ;

(ख) धारा-6 की उप-धारा (1) के तहत अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पत्र, उसमें दिया जाने वाला विवरण और उसके साथ दिया जाने वाला शुल्क ।

(ग) धारा-6 की उप-धारा (4) के खंड (घ) के अधीन अनुज्ञप्ति देने अथवा मना करने को ध्यान में रखे जाने वाले मामले अनुज्ञप्ति और अनुज्ञप्ति की शर्तों के निष्पादन की प्रतिभूति के लिए देय शुल्क ।

(घ) धारा-6 के तहत अनुज्ञप्ति देने अथवा मना करने या ऐसी अनुज्ञप्ति को रद्द करने, निलंबित करने या संशोधित करने अथवा धारा-12 के तहत जलयान का रजिस्ट्रेशन करने या ऐसे रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ।

(ङ) धारा-12 के तहत मत्स्यन जलयान के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पत्र, ऐसे आवेदन के साथ दिया जाने वाला विवरण और आवेदन के साथ दिया जाने वाला शुल्क, रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र का फार्म और उस धारा की उप-धारा (3) में उल्लिखित फार्म, और वह रीति जिससे उस धारा की उप-धारा (4) में उल्लिखित रजिस्ट्रेशन चिन्ह प्रदर्शित किया जाएगा ।

(च) वह रीति जिससे धारा-13 में दी गई सूचना दी जाएगी ।

(छ) वह मद और रीति जिससे धारा (14) की उप-धारा (1) में उल्लिखित विवरण दिया जाएगा ;

(ज) वह प्राधिकारी जिसे धारा-16 की उप-धारा (1) के तहत अपील की जाएगी ।

(झ) वह स्थान और रीति जिससे धारा-19 की उप-धारा (1) के तहत मत्स्यन जलयान परिबद्ध किया जाएगा और वह रीति जिसमें अभिग्रहीत मछली के निपटान से प्राप्त हुई राशि को उस धारा की उप-धारा (2) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास जमा किया जाएगा ।

( ) धारा-20 की उप-धारा (2) के तहत न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जाँच की प्रक्रिया ;

(ट) अध्यक्ष के अतिरिक्त अपील बोर्ड के सदस्यों की योग्यता, अपील बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय शुल्क और भत्ते ; अपील बोर्ड की प्रक्रिया

(ठ) दस्तावेजों की प्रतियाँ या आदेश भेजने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए अथवा इस अधिनियम के तहत किसी अधिकारी या प्राधिकारी की सेवा वाले मामले के लिए देय शुल्क ।

(ड) ऐसा कोई अन्य मामला जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा उपबंधित किया जाए या किया जा सकता हो ।

सचिवालय
पणजी - गोवा
6 मार्च, 1981

यू.डी.शर्मा
गोवा, दमण और दीव सरकार
का सचिव
विधि विभाग (विधिक परामर्श)

(सरकारी राजपत्र सीरीज-I सं.-50, तारीख 12-3-1981 में प्रकाशित)